

फर्द अहकाम

दफ्तर

नेमल देव प्रसाद देव बनाम राजमानन्द वर्मा
 उपायुक्त अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर
 या 03/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/7/25	<p>जमानली फेर 387 वकील उभर पत्र उभर जमानली माहेराने वि-जातकीन हे जमानली कर्मचारी किरा गण्डा उभर उभर कर्मचारी किरा गण्डा वकील उभर उभर की महामारी के माध्यम से वादी-कर्म उभर अनुरागि धार 53, 188 बंधनस्थान कारितकार माहेरि किरा के लीकर किरा पाठक ही उभर पुस्तकिक कर्मचारी के वाड के उभर उभर हेतु निष्पक्ष किरा उभर हेतु एवं वाड के बंधन किरा पाठक ही किरा निष्पक्ष उभर के किरा पाठक शाकिल उभर किरा गण्डा निष्पक्ष माउ मर उभर 13 गण्डा गण्डा जमानली-फेरान 25 गण्डा उभर उभर के उभर उभर वाड प्रति शाकिल उभर के</p>	

उपस्थान्त अधिकारी
 जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18-21)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0:- 03/2025

दायर दिनांक 01.01.2025

नेचर होम रियल स्टेट

बनाम

गजानन्द वगै0


(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश

दिनांक 17.04.2025


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए. एस. व हाजिर श्री किशनलाल वकील वादीगण व श्री सूरज शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 14 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रूपवास, पटवार हल्का रूपवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता सं0 35 के खसरा नम्बर 761/640 रकबा 0.2000है0 व खाता सं0 34 के खसरा नम्बर 442 रकबा 0.6100है0, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.2100है0, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.2400है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0600है0, खाता सं0 36 के खसरा नम्बर 434 रकबा 0.3000है0, खाता सं0 189 के खसरा नम्बर 432 रकबा 0.2900है0, खसरा नम्बर 444 रकबा 0.2200है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5100है0 एवं खाता सं0 174 के खसरा नम्बर 587 रकबा 0.2700है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से एवं रास्ता तथा कब्जा को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात् सरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग-अलग रंग भरकर कुरैजात के प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 17/04/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

नोट:- जमानत की माईर, दिनांक 13/5/25 के
आउटपुट अर्ज डिक्री के लालत नामक
761/640 के लालत पर लालत 7200
761/495 पदा 5 अर्जनामा माक।


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर
जमवारामगढ, जयपुर


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर